Concern over mandatory wearing of hats by the Sikh drivers or Canadian Pacific Railway in Canada

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश):महोदय,कनाडियन प्रशांत रेलवे-सी.पी.आर. द्वारा सिख चालकों को पगडी की जगह सख्त हैट पहनने के आदेश ने सिख चालकों के लिए समस्या पैदा कर दी है।पगडी सिखों की धार्मिक पहचान है, इसीलिए सिखों की धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए प्रायः सभी देशों ने पगडी रखने की छूट दे रखी है। कनाडिया प्रशांत रेलवे का सुरक्षा के बहाने धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाला यह आदेश दुःखद है सरकार से आग्रह है कि उक्त विषय की गंभीरता के मद्देनजर कनाडा सरकार से भारतवासियों की चिन्ता से अवगत कराते हुए सर्व धर्म सम्भव की नीति का अनुपालन हेतु उक्त विवादास्पद आदेश को वापस लेने हेतु दबाव बनाने का प्रयास करें।

यह मसला इसलिए भी गंभीर है,क्योंकि अगर हम इस आदेश के कारण टोरन्टों में 500 सिख चालकों को काम पर आने से रोक दिया है एवं आदेश का पुरजोर विरोध नहीं किए तो अन्य देशों में भी सुरक्षा का बहाना लेकर ऎसी समस्या आ सकती है। ज्ञातव्य हैं कि सी.पी.आर. के उक्त आदेश से वहां के सिख समुदाय विशेषकर सिख चालकों में काफी रोष है। सी.पी.आर. के इस आदेश के कारण टोरन्टों में 500 सिख चालकों को काम पर आने से रोक दिया है एवं आदेश किया कि ये चालक अर्थात् सिख चालक पगडी की जगह हैट लगा कर ही काम पर आयें। कनाडा में इस आदेश का व्यापक विरोध हो रहा है।

Concern over adulteration in petroleum products in the Country

श्री अजय मारु (झारखंड):महोदय, राज्यसभा सदस्य श्री के. जनाकृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में गठित राज्य सभा की विभिन्न पार्टियों की याचिका समिति ने गत 10 अगस्त को संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट रोकने में विफलता के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। समिति ने पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रयासों पर असंतोष व्यक्त करते हुए एक स्वतंत्र मानिटरिंग प्राधिकार गठित करने का सुझाव दिया है। उक्त कमेटी ने सरकारी स्तर पर हुई कई गलतियों को अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है जिसमें प्रमुख तेल में मिलावट रोकने के लिये बनाया गया सेल इस लिये बन्द कर दिया गया क्योंकि इस सेल में कुछ भ्रष्ट अधिकारी यह नहीं चाहते थे तथा दूसरा प्रमुख कारण यह था कि नाप्था और स्व बाजार में निजी रिफाइनरी के माध्यम से उपलब्ध होता है तथा इसे मिलावट में प्रयोग किया जाता है। कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय सतकर्ता आयोग के अधीन एक कमेटी बनाई जाय तथा इन मिलावटों का जिम्मेवार तेल कम्पनियों को बनाया जाय। मामले की गंभीरता को देखते हुए महत्वपूर्ण विषय पर सरकार को तत्काल कार्यवाही करने तथा अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।